

1
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3666 / 2024

दिनांक 07.11.2024

श्रीमती आमा गहलोत (RJ00937), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 01.10.2024 से 03.10.2024 तक 03 दिनों का उपाजित अवकाश ।
2. दिनांक 04.10.2024 से 05.10.2024 तक 02 दिनों परावर्तित अवकाश दिनांक 06.10.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्रीमती गहलोत की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर जिला, जयपुर/सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/106/2015/ 8832

दिनांक 07.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 6583 दिनांक 10.10.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती आमा गहलोत (RJ00937), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) ।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर जिला, जयपुर ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) ।

सहायक रजिस्ट्रार